संख्या- 104 / 2025 / 586 / चार-2025-1732384

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2025

विषय:- जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि रू0 63.42 लाख तथा थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन हेतु अवशेष धनराशि रू0 229.91 लाख का प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1140 /उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18, दिनांक 05 फरवरी, 2025 तथा पत्र संख्या- 1144 /उ0प्र0सं0नि0-5(49)/2017-18-।।।, दिनांक 05 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है-

(1) जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों - अवशेष धनराशि रू0 63.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

(2) इण्टीरियर एक्जीबिट आदि हेतु मूल्यांकित लागत रू0 879.60 लाख में सम्मिलित की गयी धनराशि रू0 164.62 लाख में सेन्टेज चार्ज एवं जी०एस०टी० सम्मिलित न किये जाने के कारण परिणामी संशोधित लागत की गणना पर निम्नानुसार संशोधित कर रु0 924.91 की (**714.98 लाख +209.93)** की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति :-

क्र0	मद का विवरण	प्रस्तावित धनराशि (रूपये लाख में)
1	जोडी गयी लागत	164.62
2	कन्टेजेन्सी 1 प्रतिशत	1.65
3	सेन्टेज चार्ज रू0 116.21 लाख पर @10%(फर्नीचर एवं साउण्ड आईटेम पर सेन्टेज अनुमन्य न किये जाने के दृष्टिगत)	11.64
योग	@ 18%जी० एस०टी0	177.91
		32.02
	(रूपये दो करोड़ नौ लाख तिरानवें हजार मात्र) कुल योग	209.93

(3) निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि रु 63.42 लाख एवं इण्टीरियर एक्जीबिट हेतु अवशेष धनराशि रू0 229.91 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रु० 293.33 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधान।

2- अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के **इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों** एवं **इण्टीरियर एक्जीबिट हेतु** निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी है –

1- निर्माण कार्य परियोजना – 2478.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रूपये लाख में)	कार्य
63/2019/607/चार-2019-110 (विविध)/2017 दिनांक 10.03.2019	400.00	निर्माण कार्य
86/2019/780/चार-2019-110 (विविध)/2017 दिनांक 25.03.2019	294.00	निर्माण कार्य
73/2020/611/चार-2020-110 (विविध)/2020 दिनांक 15.03.2020	886.00	निर्माण कार्य
58/2021/654/चार-2021-110 (विविध)/2017 दिनांक 15.03.2021	295.75	निर्माण कार्य
150/2021/1608/चार-2021-110 (विविध)/2017 दिनांक 23.09.2021	54.08	निर्माण कार्य
45/2022/243/चार-2022-110 (विविध)/2017 दिनांक 14.10.2022	182.85	निर्माण कार्य
185/2022/2133/चार-2022-110 (विविध)/2017 दिनांक 14.10.2022	242.31	निर्माण कार्य
126/2024/832/ चार-2024- दिनांक 11.3.2024	41.28	दिनांक 13/7/2024 के पश्चात कराये गये कार्यों में 18 % जी0एस0टी0 के आधार पर 06% अतिरिक्त जी0एस0टी0
405/2024/3640/ चार-2024-1663787 दिनांक 16.12.2024	60.52	निर्माण कार्य हेतु अवशेष 5% धनराशि रु0 123.94 में से अवमुक्त
निर्माण कार्य + दिनांक 13/7/2024 के पश्चात कराये गये कार्यों में 18 % जी0एस0टी0 के आधार पर 06% अतिरिक्त जी0एस0टी0		2415.51 +41.28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- <u>आन्तरिक साज -सज्जा ,एक्जिबिट्स एवं प्रदर्शन परियोजना – 879.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति</u>

शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रूपये लाख में)	कार्य
40/2023/2684/चार-2022-110 (विविध)/2017 दिनांक 06.02.2023	695.00	**आन्तरिक साज -सज्जा ,एक्जिबिट्स एवं प्रदर्शन** (रू0 714.98 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 695.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत)
628/ चार-2023दिनांक 20.3.2023	-	मूल्यांकित लागत रू0 714.98 लाख में **बाट आउट मद** हेतु रू0 164.62 लाख को सम्मिलित करते हुए **कुल रू0 879.60 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत।**

3. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित उपप्रस्तर (1) के अनुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति एवं उपप्रस्तर- (2) एवं (3) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों के अधीन अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन परियोजना हेतु रू0 879.60 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति में सम्मिलित बॉट आउट मद के कार्यों हेतु धनराशि रू० 164.62 लाख पर देय सेन्टेज चार्ज (रू0 11.64 लाख), कन्टीजेन्सी 1 प्रतिशत (रू0 1.65 लाख) एवं जी०एस०टी० (रू0 32.02 लाख) को सम्मिलित किए जाने के कारण परिणामी संशोधित लागत **रू0 924.91 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति** प्रदान की जाती है ।

(2) जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों हेतु रू0 2478.93 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त रू0 2415.51 लाख के क्रम में अवशेष धनराशि **रू0 63.42 लाख (रूपये तिरसठ लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04 कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय 10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

(3) जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन परियोजना हेतु रू0 879.60 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति में से अवशेष धनराशि **रू0 229.91 लाख (रूपये दो करोड़ उनतीस लाख इक्यानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04 कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय 10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. प्रस्तर-3 में उल्लिखित स्वीकृतियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

<u>शर्तें:-</u>

(1) **जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों हेतु** स्वीकृत धनराशि **रू0 63.42 लाख** आहरित कर कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को तथा **जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन परियोजना हेतु** स्वीकृत धनराशि **रू0 229.91 लाख** आहरित कर कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या- 405 /2024/3640/चार-2024-1663787 दिनांक 16 दिसम्बर, 2024, शासनादेश संख्या-185/2022/2133/चार-20223-110 (विविध)/2017 दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 तथा शासनादेश संख्या-40/2023/2684/चार-2022-110 (विविध)/2017 दिनांक 06 फरवरी, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(4) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(7) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(8) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(10) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(11) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य/ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04 कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय- 15- संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद से रू0 293.33 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04 कला तथा संस्कृति -106- संग्रहालय 10- जनपद बलरामपुर में इमिलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय - 24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- RE-budget-1-646-E-7-327-X-2024-25 - दिनांक: 19-03-2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
8- महाप्रबंधक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पर्यटन भवन, लखनऊ ई-मेल- upstdc.gm@gmail.com
9- निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-34, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), बस्ती ई-मेल cdsunit34bst@gmail.com ।
11- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
12- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-586- Reapp Museum Balrampur

विषय:- जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू संस्कृति संग्रहालय के निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि रू0 63.42 लाख तथा थारू जनजाति संग्रहालय के आन्तरिक साज-सज्जा, एक्जीबिट्स एवं प्रदर्शन हेतु अवशेष धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061500 (संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र	6,85,73,000 रुपये छह करोड़ पचासी लाख तिहत्तर हजार मात्र	2,93,33,000 रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख तैंतीस हजार मात्र	2,93,33,000 रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख तैंतीस हजार मात्र	12,06,67,000 रुपये बारह करोड़ छह लाख सड़सठ हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 2,93,33,000	₹ 2,93,33,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061000 (जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	60,52,000 रुपये साठ लाख बावन हजार मात्र	2,93,33,000 रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख तैंतीस हजार मात्र	2,93,33,000 रुपये दो करोड़ तिरानबे लाख तैंतीस हजार मात्र	3,53,85,000 रुपये तीन करोड़ तिरेपन लाख पचासी हजार मात्र	2024-2025
कुल				₹ 2,93,33,000	₹ 2,93,33,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
संख्या:RE-budget-1-646-E-7-327-X-2024-25-दिनांक:19-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या : 104 /2025/ 586(1) /चार-2025-1732384 तद्दिनंक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in